पत्रांकः—वन भूमि—22 / 2022...................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं **जलवायु परिवर्तन विभाग**

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची—834002

पटना—15, दिनांक..........................

विषय :— मुंगेर एवं भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80, मुंगेर—बरियारपुर—सुल्तानगंज (70.150—121.025 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 31.37 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80, मुंगेर—बरियारपुर—सुल्तानगंज (70.150—121.025 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 31.37 हे० भूमि अपयोजन का प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या—921(E) दिनांक—28.08.1997 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। विषयांकित परियोजना में 31.37 हे० वन भूमि का अपयोजन तथा 2304 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः—

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	Translocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	पतित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	वानस्पतिक घनत्व
1	मुंगेर	70.150—93.000=22.85	19.28	804	381	0.2
2	भागलपुर	93.000—121.025=28.025	12.09	1980	1923	0.04
		कुल	31.37	2784	2304	

प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 31.37 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है। परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 5088 वृक्षों में से 2304 वृक्षों का पातन तथा 2784 वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रस्तावित है। उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिनका पुनर्स्थापन विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं मुंगेर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11—43 / 2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण—पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 31.37 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 62.74 हे0 अर्थात 63.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल मुंगेर के खंड़गपुर वन प्रक्षेत्र के बसविट्टी सुरक्षित वन को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त की

गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तो के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 31.37 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 3,00,45,559/–(तीन करोड़ पैंतालीस हजार पाँच सौ उनसठ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 31.37 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये मुंगेर वन प्रमंडलन्तर्गत 63.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन मे चिन्हित करते हुए रू० 92,35,854/–(बेरानवे लाख पैंतीस हजार आठ सौ चौवन रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1224/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–22/2022....................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक....................................

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–22/2022 1112(239) /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 13/06/2022

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

13.6.2022
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 31.37 ha. forest land for construction of Rehabilitation and upgrading to Munger-Bariapur-Sultanganj Road under Bhagalpur & Munger District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:-......13.6.2022..........

Place:-......PATNA..........

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:-

Official Seal:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभा
बिहार, पटना
गै०स०प्रे०सं०...............
दिनांक...............